

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

म्यूटेशन रिविजन नं०-08/2014

बृजनंदन साव बनाम राज्य एवं 01 अन्य।

आदेश

28.10.16

आवेदक बृजनंदन साव पिता स्व० चिंतामण साव, ग्राम-महथाडीह, थाना-डोमचांच, जिला-कोडरमा द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा द्वारा दाखिल खारीज अपील वाद संख्या-34/2011-12 बृजनंदन साव बनाम राजकुमार यादव एवं अन्य में दिनांक 14.08.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध म्यूटेशन रिविजन दायर की गई है और निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को Set-aside करने की प्रार्थना की गई है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, डोमचांच द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-257/11-12 में दिनांक 23.04.11 को पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी बृजनंदन साव के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा के न्यायालय में म्यूटेशन अपील दाखिल किया गया है। दिनांक 23.08.11 को अंचल अधिकारी, डोमचांच के आदेश द्वारा राजकुमार यादव द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन पत्र जिसका खाता नं०-29, प्लॉट नं०-423 की कुल हासिल 35डी० जमीन के मधे खरीदगी रकवा 17 ½ डी०, जिसके उत्तर-टांड वो धनीराम घटवार, दक्षिण-पहाड़ी, पूरब-टांड वो अहरी, पश्चिम-प्यारे लाल पाठक जो मौजा-तेतरीयाडीह, थाना-कोडरमा, थाना नं०-63, हाल थाना-डोमचांच, जिला-कोडरमा में स्थित है, का नामान्तरण स्वीकार किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि मौजा-तेतरीयाडीह के खाता नं०-29, प्लॉट नं०-220, रकवा-20डी० प्लॉट नं०-423, रकवा-20, प्लॉट नं०-310, रकवा-32डी०, प्लॉट नं०-437, रकवा-23डी० कुल रकवा 95डी० जमीन जो भूतपूर्व जमीन्दार एफ० एफ० क्रिश्चियन कंपनी लिमिटेड से हुकुमनामा द्वारा दिनांक 29.06.1934 को मोहन साव पिता मंगर साव निवासी मौजा-महथाडीह हासिल किये वो हकदार वो दखलकार हुए। वे भूतपूर्व जमीन्दार को लगातार मालगुजारी देकर रसीद प्राप्त करते रहे। जमीन्दारी की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बन्दोबस्तधारी मोहन साव का नाम पंजी ॥ में दर्ज किया गया तथा मोहन साव सरकार को मालगुजारी भुगतान कर रसीद कटाते रहे। मोहन साव के मरणोपरान्त उनके पुत्र चिन्तामन साव हकदार वो दखलकार हुए। अन्ततः उन्होंने दान पत्र संख्या-2096 दिनांक 23.02.1984 द्वारा बृजनंदन साव को 5.05ए० भूमि हस्तांतरित कर दिया। बृजनंदन साव इसका दाखिल खारीज अपने नाम करवाकर रसीद कटाने लगे। उपरोक्त दान पत्र के द्वारा अपीलार्थी को प्लॉट नं०-423 की 20डी० भूमि का हस्तांतरण किया गया।

अपीलार्थी को उक्त भूमि का नामान्तरण राजकुमार यादव के नाम हो जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त उन्होंने अंचल अधिकारी, डोमचांच के आदेश के विरुद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा के न्यायालय में अपील दायर किया गया।

C.C. 1/16
299
9.11.16

C.C. 1/16
306
16.11.16

✱



भूमि सुधार उपसमिति कोदरम द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-257/11-12 दिनांक 23.04.11 को अपने आदेश में उल्लिखित किया गया है कि "उक्त प्लॉट के विद्धान अधिलेखों को सुनने, अभिलेख, कामजात एवं जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि पर किया गया दावा हुकुमनामा एवं केवाला पर आधारित है। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल खतियान खाता नं-29 से संबंधित है तथा बुद्धि पाण्डेय वगैरह के नाम से है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन और बहस के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया है कि खाता नं-29 का खेवटदार कौन है तथा भूस्वामी का नाम क्या है। उक्त भूमि जब बुद्धि पाण्डेय वगैरह के नाम खतियान में दर्ज है तो जमीन्दार एकद एक क्रियान्वयन में किस आधार पर हुकुमनामा जारी किया। उत्तरवादी द्वारा भी उक्त तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया। यदि हुकुमनामा को आधार माना जाय तो उत्तरवादी द्वारा दाखिल हुकुमनामा दिनांक 23.02.1931 का जारी किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल हुकुमनामा दिनांक 23.02.1931 का जारी किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल हुकुमनामा दिनांक 29.06.1934 का है। उक्त प्लॉट का कुल रकबा मात्र 44 डी० ही है। यदि खतियान को आधार माना जाता है तो जब पूर्व में अपीलार्थी ने हुकुमनामा के आधार पर हासिल किया, जो जमीन्दार का हक-हकियत एवं दखल-कब्जा प्रमाणित करता है तो पुनः उक्त खाते की जमीन बुद्धि पाण्डेय वगैरह को कैसे हासिल हुई इसका जवाब भी अपीलार्थी नहीं दे पाये है। दोगप्रोसो की धारा 144 के अन्तर्गत पारित आदेश की अवधि 60 दिनों की होती है तथा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तरवादी उक्त वाद में पक्षकार नहीं थे। यह मुकदमा बुद्धि पाण्डेय के उत्तराधिकारियों एवं अपीलार्थी के बीच था। अपीलार्थी के द्वारा मनरेगा योजना के तहत कूप निर्माण किये जाने की बात आवेदन में लिखी गयी है तथा उस संबंध में विडियो सी०डी० कैसेट एवं फोटोग्राफ भी दाखिल किया गया है जिसमें कूप निर्माण के लिये किया गया गड़ड़ा दर्शाता है परन्तु वह पूर्ण निमित्त कूप नहीं है जो यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी के द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को रोक दिया गया है, जो अपीलार्थी के दखल के दावे को संदेहात्पद बना देता है। रजिस्टर II पृष्ठ संख्या-251/01 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त पंजी के अनुसार 64 डी० जमीन की मालगुजारी रसीद रैयत नेवती ग्वालिन के नाम निर्गत की गई है। नाम में ओभर राईटिंग की बात अपीलार्थी द्वारा कही गई है, परन्तु उक्त 64डी० जमीन की रसीद वास्तव में यदि नेवती ग्वालिन के नाम से निर्गत नहीं है तो किसके नाम से निर्गत है, यह अपीलार्थी स्पष्ट नहीं कर पाये है। केवल यह कह देना ओभर राईटिंग है इससे दावा खारीज नहीं किया जा सकता। उत्तरवादी के विक्रेता के नाम से भी दाखिल खारीज किया गया है तथा रसीद निर्गत है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड पर उत्तरवादी के विक्रेता का दखल-कब्जा रहा है और वर्तमान में उत्तरवादी का दखल-कब्जा है। इसके विपरीत अपीलार्थी ने कोई अन्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जो उनके दखल कब्जे के कथन की पुष्टि कर सके। अपीलार्थी ने स्थल निरीक्षण हेतु भी आवेदन दिया है परन्तु अभिलेख में अपीलार्थी द्वारा अपने दखल कब्जे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अंचल निरीक्षक एवं हल्का कर्मचारी द्वारा दिये गये उत्तरवादी द्वारा भूमि पर कब्जे के संबंध में प्रतिवेदन को खंडित कर सके। उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात् मैं यह पाता हूँ कि प्रासंगिक वाद मूलतः प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व एवं अधिकार निर्धारण से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। उसका निर्धारण सक्षम न्यायालय से ही संभव है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के दाखिल-खारीज अपीलवाद को खारीज किया जाता है।"



इस संबंध में दिनांक 15-9-2016 को सरकारी अधिवक्ता का लिखित जवाब दखिल किया गया जिसमें उनका कहना है कि,

1. That in the instant Revision, it is matter of enquiry that without publishing the Ishtehar, how the mutation of Opp. Party No.2 was allowed though the mandatory provision was not adopted.
2. That in the operative part of the order of LRDC Koderma, It is stated that there became over writing in the name of Newati Gwalin and merely on such basis, Zamabandi could not be cancelled i.e. Seems not correct.
3. That it is not enquired that what was the necessity to open a new Zamabandi of same Khata and Plot and from whose order the rent receipt was issued to Newati Gwalin and from when the Rent Receipt of Mohan Sao was running in register II.
4. That when the complete 44 dismal area is in a boundary as stated by the petitioner and it is also admitted by Opp. Party no.2 that there was boundary of 3-4 feet height and extended the height up to 7ft by vendor Vinod Yadav then how a person, who purchased only 35 dismals of land can give the boundary over 44 dismal of land i.e. the initial boundary was not given by the vendor of Opp. Party no.2 moreover the area and boundary is matching with the statement of Petitioner Brij Nandan Sao and hence the Order of LRDC and the matter is for the consideration of the learned court.

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं का सुना और अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा द्वारा अपने आदेश में अंकित है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि पर किया गया दावा हुकुमनामा एवं केवाला पर आधारित है। अंचल अधिकारी, डोमचौंच द्वारा दिनांक 23.08.11 को पारित आदेश में राजकुमार यादव द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा एवं केवाला के आधार पर ही खाता नं०-29, प्लॉट नं०-423 की कुल हासिल 35डी० जमीन के मध्ये खरीदगी रकवा 17 ½ डी०, जिसके उत्तर -टांड वो धनीराम घटवार, दक्षिण-पहाड़ी, पूरब-टांड वो अहरी, पश्चिम-प्यारे लाल पाठक जो मौजा-तेतरीयाडीह, थाना-कोडरमा, थाना नं०-63, हाल थाना-डोमचांच, जिला-कोडरमा का नामान्तरण श्री राजकुमार यादव के पक्ष में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत हुकुमनामा एवं केवाला के आधार पर ही दोनो पक्षों का अलग अलग जमाबंदी कायम किया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का आपत्ति विचारणीय है समान खाता एवं प्लॉट के लिए दो जमाबन्दी खोलने की क्या आवश्यकता थी और जब मोहन साव के नाम से जमाबंदी कायम थी तो पुनः नेवती गवालिन के नाम से जमाबन्दी क्यों कायम की गयी ?

अतः सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व एवं अधिकार निर्धारण से संबंधित है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। उसका निर्धारण सक्षम न्यायालय से ही संभव है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के म्यूटेशन रिविजन वाद को खारीज किया जाता है।

साथ ही विद्वान सरकारी अधिवक्ता के विधिक मंतव्य के आलोक में अंचल अधिकारी, डोमचौंच द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-257/11-12 में दिनांक 23.04.11 को राजकुमार यादव के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण की जॉच आवश्यक प्रतीत होता है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा को आदेश दिया जाता है कि विद्वान सरकारी अधिवक्ता के विधिक मंतव्य के आलोक में अंचल अधिकारी, डोमचौंच द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-257/11-12 में दिनांक 23.04.11 को राजकुमार यादव के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरण की जॉच कर और सभी पक्षों की सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।



उपायुक्त
कोडरमा।